आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
25/2/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 87/2011** **मणीशंकर बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 19633/2011 निशिकान्त प्रकाश बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 14.11.2011 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 1401 दिनांक 21.10.2011 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि श्री मणिशंकर, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत–बरेजा, प्रखंड–मांझी की दूकान की जॉच प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, मांझी द्वारा की गयी थी। उनके प्रस्तुत प्रतिवेदन द्वारा निम्नलिखित अनियमिततताएँ प्रतिवेदित की गयी थीः 1. विक्रेता द्वारा माह जनवरी 2011 का 168 कूपन, माह फरवरी 2011 का 139 कूपन जमा किया गया है तथा 28 कूपन का किरासन तेल स्टॉक में है। माह मार्च 2011 का भी कूपन विक्रेता द्वारा जमा नहीं किया गया है, जबकि विक्रेता को 260 कूपन पर किरासन तेल का आवंटन प्राप्त होता है। 2. विक्रेता द्वारा माह दिसम्बर 2010 का 42 कूपन, जनवरी 2011 का 46 कूपन जमा किया गया है, जबकि विक्रेता को 53 कूपन पर अन्त्योदय खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होता है। माह फरवरी 2011 का खाद्यान्न का उठाव करने के बावजूद विक्रेता द्वारा जॉच की तिथि तक कूपन जमा नहीं कराया गया है। 3. बी0पी0एल0 खाद्यान्न का माह दिसम्बर 2010 का 54, जनवरी 2011 का 48 तथा फरवरी, 2011 का मात्र 41 कूपन विक्रेता द्वारा जमा कराया गया है, जबकि विक्रेता को 90 कूपन पर आवंटन प्राप्त होता है।	

4. विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जाता है तथा अधिक पैसा लिया जाता है।

उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा ने विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की थी। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया तथा उक्त अनियमितता को प्रथम दृष्टया सही पाकर मणिशंकर, जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति सं0 122/07 को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक माह में आवंटन प्राप्त होने पर संबंधित उपभोक्ताओं के बीच कूपन व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर किरासन तेल की आपूर्त्ति की जाती थी तथा माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2011 का उपभोक्ताओं से प्राप्त कूपन को विभाग में जमा कर दिया गया था। माह फरवरी 2011 में 28 उपभोक्ताओं ने अपीलार्थी के यहॉ से किरासन तेल का उठाव नहीं किया, क्योंकि अपीलार्थी के यहॉ से किरासन तेल लेना नहीं चाहता था, जिसकी सूचना प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, मांझी को लिखित रूप से दिनांक 3.3.2011 को दिया गया था। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, मांझी ने अपने पत्रांक 122 दिनांक 1.4.2011 द्वारा श्री कृष्ण कुमार सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता को देने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने 28 व्यक्तियों का किरासन तेल की आपूर्त्ति श्री कृष्ण कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा की गयी, तो कूपन अपीलार्थी द्वारा उनका कूपन विभाग में जमा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि 28 कूपन कृष्ण कुमार सिंह को उपभोक्ताओं ने दिया था। यह भी बतलाया कि माह मार्च 2011 में अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 खाद्यान्न का उठाव एडवाइस नहीं मिलने के कारण नहीं किया गया, जिस कारण कूपन जमा नहीं किया गया था। कंडिका 2 के संदर्भ में विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक माह में जब भी अन्त्योदय खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हुआ है। सभी संबंधित उपभोक्ताओं को कूपन के आधार पर खाद्यान्न की आपूर्त्ति की जाती है तथा उन कूपनों को विभाग में जमा कर दिया जाता था, जिसके पश्चात् ही अगले माह का आवंटन प्राप्त होता था। कुछ ऐसे उपभोक्ता भी था, जिसका विभाग द्वारा कूपन की आपूर्त्ति नहीं की गई थी, जिसे तेल की आपूर्त्ति राजनीतिक एवं पंचायत मुखिया के दबाव के कारण दी जाती थी। यही स्थिति बी. पी.एल. उपभोक्ताओं के साथ भी रही थी। कंडिका 03 के संदर्भ में विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक माह में जब भी आवंटन प्राप्त होता था, तो सभी

	संबंधित उपभोक्ताओं को उचित मूल्य, निर्धारित मात्रा एवं सही माप–तौल से खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्त्ति की जाती थी तथा उसका विवरण वितरण पंजी पर उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान के साथ अंकित है। यह भी बतलाया कि यह आरोप कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न, अधिक राशि लेकर आपूर्त्ति की जाती थी, जो गलत है। विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया। सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने बतलाया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है। उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, ~~सोनपुर~~ सदर, छपरा द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है। वाद निष्पादित। लेखापित एवं संशोधित ह०/- 25/3 जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा ह०/- 25/3 जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा	

ज्ञापांक 142/न्या० दिनांक 25/3/14

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा / NIC पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 15/3/14

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।